

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा

ई-निविदा क./.... /दिनांक 25/08/2026

निविदा मनी रसीद क्रमांक - दिनांक -

(नोट: निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग ईएमडी और दूसरे भाग को तकनीकी एवं तृतीय भाग व्यवसायिक नाम दिया गया है। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फर्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार -पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

तकनीकी भाग - एक

प्रति,

प्रबंध संचालक,
भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक
कारखाना मर्यादित, कवर्धा.(छ.ग.)

आपके कारखाना द्वारा प्रकाशित शक्कर विक्रय हेतु ई-निविदा क्रमांक दिनांक 25/08/2026 को ई-निविदा में दर्शाए अनुसार शक्कर की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर कय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा शक्कर कय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

(i) व्यवसायी/फर्म का विवरण -

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता -
2. मालिक/संचालक का नाम
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. फेक्स नम्बर
5. जी.एस.टी.

6. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
7. ई.एम.डी. जमा करने संबंधी प्रमाण स्वरूप UTR NO/जमा पावती की मूल/छाया प्रति

(ii) व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण -

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे -

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता -
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
3. फेक्स' नम्बर
4. व्यवसाय एवं पता -

मैं भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा द्वारा जारी ई-निविदा क्रमांक दिनांक 25/08/2026 के लिए श्री/मेसर्स..... पता.....

की ओर से ई-निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैंने शक्कर विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा।

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

दो- ई-निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना -

निविदाकार को ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु ईएमडी भाग एक भाग दो तकनिकी एवं भाग तीन उपयोग करना अनिवार्य होगा। जिसमें फर्म से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज फर्म का नाम, जी.एस. टी. नं., लायसेन्स प्रमाण-पत्र, पेन नंबर, आधार नंबर एवं ई.एम.डी. की राशि तथा व्यासायिक भाग तीन में निविदा दर ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत समिति द्वारा सर्व प्रथम भाग एक खोला जाएगा जिसमें ईएमडी पाये जाने पर ही भाग दो खोला जाएगा। तत्पश्चात् भाग तीन खोला जायगा।

तीन- अमानत/ई.एम.डी. राशि -

निविदाकार को ई-निविदा फार्म के साथ ही निविदा में कय हेतु प्रस्तावित की गई शक्कर मात्रा की सम्पूर्ण राशि का 10% राशि ई.एम.डी./आर.टी.जी.एस./ट्रांसफर/के माध्यम से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा के नाम एकाउन्ट नम्बर **19012191000743** पंजाब नेशनल बैंक कवर्धा शाखा IFSC कोड **PUNB0208520** में जमा करना अनिवार्य होगा। ई. एम. डी. की राशि जमा नहीं होने पर निविदा निरस्त की जाएगी।

चार- ई-निविदा की शर्तें -

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा से शक्कर कय करने वाले फर्म/व्यवसायी को नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

1. क्रेता को वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन नं./लाईसेंस नं. आदि संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति ।
2. जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति जिसमें निविदाकार का हस्ताक्षर एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. शक्कर कय करने के लिये भाव पत्र न्यूनतम 1000 क्विंटल मात्रा की होगी । इससे कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जायेगी, एवं ओपन दर पर विक्रय हेतु मात्रा का निर्धारण कमेटी के निर्णयानुसार कम या ज्यादा किया जा सकेगा ।
4. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तें/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा, यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
5. शक्कर कय हेतु निविदा में केवल एक ही दर प्रस्तुत करे एक से अधिक दरों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
6. निविदा में दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकों में लिखा हुआ होना चाहिए । काट-छोट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है ।
7. ई-निविदा दिनांक **23/08/2026** से दिनांक **25/08/2026** को दोपहर 02:00 बजे तक ई-निविदा वेबसाइट <https://eproc.cgstate.govt.in> में संलग्न (Submit) किया जा सकता है ।
8. ई-निविदा दिनांक **25/08/2026** को दोपहर **02:00** बजे पश्चात् विक्रय समिति/निविदाकारों के समक्ष खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं ।

9. ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है, उनकी प्रार्ज बीड 03 (तीन) नहीं खोला जायेगा एवं उनके निविदा अमान्य कर दी जायेगी ।
10. दर स्वीकृत होने पर निविदाकार को कय हेतु प्रस्तावित शक्कर की संपूर्ण राशि जमा दिनांक 29/08/2026 एवं आदेशित शक्कर मात्रा का उठाव दिनांक 31/08/2026 तक किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार कय की गई शक्कर की राशि आर.टी.जी. एस/ट्रांसफर/डी.डी. भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा के नाम से एकाउन्ट नम्बर 19012191000743 पंजाब नेशनल बैंक कवर्धा शाखा IFSC कोड PUNB0208520 में जमा करना अनिवार्य होगा।
11. निविदा के साथ प्रस्तावित शक्कर मात्रा के कय मूल्य का 10% ई.एम.डी. राशि जमा किया जाना अनिवार्य है तथा शक्कर का विकय निविदा में प्राप्त उच्चतम दर को प्राथमिकता के आधार पर ही सौदा दर्ज किया जायेगा ।
12. निविदा में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पुरा नाम पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, मुस्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया उसका उल्लेख करना अनिवार्य है निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अधिकार पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । सत्यापित अधिकार पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, अगर कंपनी/समिति, द्वारा अधिकार पत्र जारी किया जाता है, तो अधिकार पत्र पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर मय सील होना अनिवार्य है । भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम,पता,फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
13. निविदाकार को केन्द्र/राज्य शासन के नियमानुसार प्रचलित सभी कर/शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा , यदि शासन द्वारा भविष्य में एम एस पी में वृद्धि की जाती है तो दर एवं टेक्स की भवांतर राशि केता द्वारा देय होगा तथा शक्कर की डिलिवरी शक्कर कारखाना से 'जो है जैसा है' की स्थिति में उत्पान वर्ष 2025-26 की दी जायेगी ।
14. शक्कर का उठाव शासकीय एवं साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में और कार्यालयीन समय पर ही प्रदान किया जा सकेगा ।
15. शक्कर की डिलीवरी,लोडिंग/बिलिंग डिलीवरी हेतु वाहनो का प्रवेश सुबह 10:30 से 3:30 बजे एवं निर्गमन शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा ।

16. शक्कर डिलिवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाड़ी लोड करावे ।
विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
17. शक्कर की डिलिवरी वाहन की पारिंग क्षमता के अनुरूप पेपर देखने के पश्चात् डिलिवरी प्रदान की जायेगी ।
18. कारखाने द्वारा जारी विक्रय आदेश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन, आदेशित मात्रा में कमी/वृद्धि अथवा आदेश निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार कारखाने के पास सुरक्षित होगा ।
19. क्रेता द्वारा कय की गई शक्कर का उठाव अनुपातिक रूप से प्रति दिन करना होगा । कय की गई संपूर्ण आदेशित शक्कर मात्रा की डिलिवरी एक अथवा दो दिनों में करने के लिये कारखाना बाध्य नहीं होगा ।
20. विक्रय की गई संपूर्ण शक्कर की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय में नहीं होने पर ई.एम.डी. राशि राजसात एवं विक्रय आदेश निरस्त करने अथवा ऐसे शेष मात्रा किसी अन्य व्यापारियों को विक्रय करने के संबंध में प्रबंध संचालक/टेंडर कमेटी/संचालक मण्डल का निर्णय मान्य होगा ।
21. क्रेता द्वारा शक्कर कय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के साथ कारखाने द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों को पालन करना अनिवार्य होगा ।
22. जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगी ।
शक्कर, परिवहन की व्यवस्था क्रेता को स्वयं के व्यय से करनी होगी ।
23. किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्र अधिकार जिला कवर्धा सहकारी क्षेत्र का सक्षम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत रहेगा ।
24. इस फार्म की 1 से 23 तक की नियम व शर्तें पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया ।

पॉच- प्रबंध संचालक का अधिकार –

प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा ।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन /निगाशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार ।

2. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा/जारी आदेश निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा । ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा ।
3. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने, आदेश निरस्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष शक्कर की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार ।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार ।

छै:- जमा अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण-

1. आर.टी.जी.एस./ट्रांसफर/डी.डी. -
कमांक-..... दिनांक-.....
2. आर.टी.जी.एस./ट्रांसफर/डी.डी. राशि -
3. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता -
.....

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है । शक्कर कारखाना द्वारा शक्कर विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है । मेरे द्वारा शक्कर क्रय हेतु निविदा दर व्यावसायिक भाग तीन पर ऑन लाईन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दिनांक

नाम.....

पता.....

.....

.....

फर्म का मुहर